

प्रेषक,

निदेशक,
अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग,
38, दरबारी लाल शर्मा भवन,
उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ ।

सेवा में,

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन),
वाणिज्य कर विभाग,
लखनऊ ।

अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो

लखनऊ : दिनांक 23 सितम्बर, 2013

विषय:- पुनरीक्षित वेतनमान में किये गये वेतन निर्धारण की टेस्ट चेंकिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-स्था०-5(क)वेतन निर्धारण की टेस्ट चेंकिंग/2705/वाणिज्य कर, दिनांक 05-9-2013 का सम्बन्ध ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आप द्वारा प्रेषित श्री धर्मेन्द्र कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक से सम्बन्धित यू०पी० वाणिज्य कर सिनिस्ट्रीरियम स्टाफ एसोसिएशन, उ०प्र० के प्रस्तावेदन पर विचार किया गया। श्री वर्मा की नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक पद पर दिनांक 02-4-1991 को की गयी। इन्हें कनिष्ठ लिपिक पद पर 14 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पर दिनांक 02-4-2005 में रू० 4000-6000 प्रथम घोषित वेतनमान स्वीकृत किया गया। तदनुसार इन्हें दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड रू० 5200-20200 तथा ग्रेड वेतन रू० 2400/- पुनरीक्षित किया गया था। इन्हें द्वितीय वित्तीय स्तरसोन्तथरु के रूप में दिनांक 01-12-2008 से रू० 2800/- ग्रेड वेतन अनुमन्य किया गया था। कर एवं निबन्धान अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-क०नि०-4-1269/11-2011-30(5)/2011, दिनांक 26 सितम्बर, 2011 द्वारा वाणिज्य कर में कार्यरत लिपिकों के लोंघे का पुर्नगठन किया गया था जिसमें वरिष्ठ लिपिक पद का संविलिनीकरण वरिष्ठ सहायक पद से वेतन बैंड रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2800/- में कर दिया गया था। शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-253/वस-62(एस)/2008 सी०सी०, दिनांक 17-02-2011 में उल्लिखित प्राविधान "विशेष पद पर ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरसोन्तथरु अनुमन्य होने के उपरान्त यदि पद का वेतन बैंड/ग्रेड वेतन उच्चकृत/संशोधित होता है तो ऐसे उच्चकरण/संशोधन की तिथि से सम्बन्धित पद पर ए०सी०पी० के अन्तर्गत पूर्व में अनुमन्य वेतन बैंड/ग्रेड वेतन के स्थान पर सम्बन्धित पद पर अनुमन्य उच्चकृत/संशोधित वेतन बैंड/ग्रेड वेतन के आलोक में उच्चकृत/संशोधित वेतन बैंड/ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा, के अनुसार वाणिज्य कर विभाग में लिपिक संवर्ग के पुर्नगठन के फलस्वरूप श्री वर्मा को दिनांक 18-3-2011

से वेतन बैंड रू0 9300-34800 तथा ग्रेड वेतन रू0 4200/- अनुमन्त्र होगा।
उपरोक्तानुसार श्री वर्मा से सम्बन्धित आपत्ति संख्या-5 संशोधित की जाती है।
संलग्नक-ग्रथोपरि।

भवदीय,

(अज्ञात अग्रवाल)
निदेशक एवं सचिव, वित्त।

श्री धर्मेन्द्र कुमार वर्मा, कृषि सहायक से सम्बन्धित संशोधित आपत्ति संख्या-5

<u>दिनांक</u>	<u>दिया गया वेतन</u>	<u>दिनांक</u>	<u>देय वेतन</u>
1-7-10	9850+2800=12650	1-7-10	9850+2800=12650
1-7-11	10230+4200=14430 (पुर्नगठन के कारण पदनाम परिवर्तित)	1-7-11	10230+4200=14430 (पुर्नगठन के कारण परिवर्तित द्वितीय ए0सी0पी0)
1-7-12	10670+4200=14870	1-7-12	10670+4200=14870
1-7-13	11120+4200=15320	1-7-13	11120+4200=15320

21/